12

संख्या– 155 /VI–2/2012–14(खेल)/2002

प्रेषक,

यू0सी0कबडयाल,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संस्कृति, खेलकूद एवं पर्यटन अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 30 मार्च, 2012

विषयः **सिविल सर्विसेज फुटबाल टूर्नामेंट 2011–12 हेतु टीम में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को सहायता।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–55/VI–2/2008–14(खेल)/2002, दिनांक 08 फरवरी, 2012 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या–513/VI–2/2011–21 (2)/2011, दिनांक 26 मई, 2011, शासनादेश संख्या–660/VI–2/2011–21(2)/2011, दिनांक 04 अगस्त, 2011 तथा शासनादेश संख्या–14/VI–2/2011–21 (2)/2011, दिनांक 05 जनवरी, 2012 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2011–12 में अनुदान संख्या–11 के मानक मद–24–सिविल सर्विसेज प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को सहायता–20 सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता मद में आपके निवर्तन पर रखी गयी धनराशि रू0 5.00 लाख में से सिविल सर्विसेज फुटबाल टीम द्वारा बैगलोर, कर्नाटक में दिनांक 22 फरवरी, 2012 से 26 फरवरी, 2012 तक आयोजित अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज फुटबाल प्रतियोगिता में भाग लने हेतु प्रदान की गई अग्रिम धनराशि रू0 1.50 लाख (रू0 एक लाख पचास हजार मात्र) के समायोजन एवं राज्य की सिविल सर्विसेज फुटबाल टीम को अवशेष भुगतान की जाने वाली धनराशि रू0 45,940.00 (रू0 पैंतालिस हजार नौ सौ चालीस मात्र) अर्थात् कुल धनराशि रू0 1,95,940.00 (रूपये एक लाख पिचानवें हजार नौ सौ चालीस मात्र) की धनराशि आपके निर्वतन पर रखते हुए व्यय किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

(I) उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबंध मे साथ स्वीकृत की जाती है कि मित्व्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय, साथ ही जिन मदों के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय करने के पूर्व शासन/संबंधित अधिकारी की स्वीकृति भी अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाय। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। मदवार व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों एवं अन्य संगत प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय, तथा वास्तविक व्यय के आधार पर ही आहरण/व्यय किया जाय।

upnl

(II) उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। योजना संबंधी शासनादेश संख्या–273/VI-1/08, दिनांक 17.11.2008 एवं इस विषय पर समय–समय पर जारी अन्य दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय, तथा समिति के सम्मुख प्रस्ताव रखते समय प्राथमिकताओं को भी इंगित करते हुए अनुमोदन प्राप्त किया जाय।

(III) धनराशि उसी मद में व्यय की जाय जिसके लिए स्वीकृत की जा रही है। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा, ऐसा व्यय सम्बन्धित अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए। स्वीकृत धनराशि के व्यय के विवरण शासन तथा महालेखाकार को नियमित रूप से भेजें।

(IV) उक्त अनुदान के सम्बन्ध में वित्तीय हस्तपुस्तिका (खण्ड–5) भाग–1 के अध्याय–16–क– अनुच्छेद–369 के सुसंगत प्राविधानों उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली एवं अनुदान सम्बन्धी विद्यमान अन्य संगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(V) इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के अनुदान संख्या–11 के लेखाशीर्षक 2204–खेलकूद तथा युवक सेवायें–00–104 खेलकूद–24–सिविल पर्पोज प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को सहायता–20 सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता मद के आयोजनागत पक्ष के नामें डाला जायेगा।

भवदीय,

/

(यू0सी0कबडवाल)
अपर सचिव।

पृष्ठांकन संख्या–155(1)/VI-2/2012–14(खेल)/2002 तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, सहारनपुर रोड, ओबराय बिल्डिंग, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 खेल मंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
3. जिलाधिकारी, देहरादून।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
6. बजट राजकोषीय संसाधन निदेशालय, देहरादून।
7. एन0आई0सी0, सचिवालय, देहरादून।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(लक्ष्मण सिंह)
अनु सचिव।

upml